

संकल्प

विषय: झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार का गठन के सम्बन्ध में।

पूर्ववर्ती बिहार राज्य के विभाजन के फलस्वरूप उत्तरवर्ती झारखण्ड राज्य में विभिन्न प्राधिकार यथा- 1. रौची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, रौची 2. आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकार, आदित्यपुर एवं 3. बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बोकारो यथा एवं वर्ष 2006 में विभागीय अधिसूचना संख्या-116 दिनांक 13.07.2006 द्वारा रांभाल समान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार का गठन किया गया।

2. इन औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारों के पृथक रखने और इनके कार्यों के लीलानदी में विभाजन में इन्हें पुनर्गठित कर किस प्रकार इनसे बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ की रागीक्षा के कग में पाया गया कि राम्रति इन औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारों में गौहिक और वित्तीय उपलब्धियाँ कम हैं। इनके आतंरिक स्त्रोतों से प्राप्त राजसत् इच्छाएँ नमायद हैं। इनका परिवेष्य में चारों प्राधिकारों को एकीकृत करते हुए एक प्राधिकार गठित किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई।

3. अतः वर्तमान में गठित चारों प्राधिकारों यथा- रियाडा, वियाडा, आवडा एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारों को एकीकृत करने संबंधी संलेख झापांक-808 दिनांक 03.05.2016 को गठितपूर्वक नियमित दिनांक 03.05.2016 के द्वारा गढ़ राज्या-06 के रूप में प्राप्त स्वीकृति के द्वारा में नए एकीकृत एवं एकीकृत करते हुए प्राधिकार का नाम "झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार" (Jharkhand Industrial Area Development Authority) किया जाता है।

4. झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार को निम्न प्रकार के पुनर्गठन (restructure) विद्या जाएगा--

4.1. एकीकृत प्राधिकार में पदेन अध्यक्ष गुण्ड्य मन्त्री होंगे। प्राधिकार में प्रत्येक नियंत्रक का पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के संविध रहार का होगा। इस पद पर पदस्थापन/नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी।

4.2. झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार में कुल पाँच नियेशक (1,2,3,4,5) होंगा। नियेशक 1,2,3 सरकार के द्वारा नामित/नामोनित किये जाएंगे तथा नियेशक 4,5 औजना-राज्य-वित्त विभाग झारखण्ड द्वारा नामित/नामोनित पदाधिकारी होंगे। तो अपर नीति नियमित

अथवा उन्हां लक्ष्य स्थानीय पदाधिकारी होंगे। उद्योग निदेशक एकीकृत प्राधिकार के निदेशक 5 होंगे।

- i. एकीकृत प्राधिकार में सधिव के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन किया जाएगा, जो संयुक्त सधिव स्तर के पदाधिकारी होंगे।
- ii. एकीकृत प्राधिकार का मुख्यालय राँची में होगा।
- iii. राँची, आदित्यपुर, बोकारो एवं दुमका स्थित वर्तमान प्राधिकारों के कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालयों में परिवर्तित हो जाएंगे एवं इनके प्रमुख मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी संयुक्त सधिव स्तर के पदाधिकारी होंगे।
- iv. रामी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के अंतर्गत एक-एक कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जो उप सधिव स्तर के पदाधिकारी होंगे।
- v. विस्तृत हितधारक परामर्श एवं प्राधिकार स्तर पर जनप्रतिनिधित्व ऐतु विधानसभा /संसद के प्रतिनिधियों का निदेशक के रूप में नियुक्ति की जाएगी तथा निदेशक गंडल में उनकी नियुक्ति होने पर उन्हें राज्यगत्री का दर्जा दिया जाएगा।
- vi. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सीधे प्रबंध निदेशक राष्ट्र उपायक्ष झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (Jharkhand Industrial Area Development Authority) को प्रतिवेदित करेंगे। झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की प्रबंधापित रामगढ़नालाक सरचना अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।
- vii. वर्तमान कर्मचारियों एवं राज्य/कार्य हित में विभिन्न प्राधिकारों के वर्तमान पर्यावारी एवं कैडर का विलय एक एकीकृत कैडर में किया जाएगा।

5. वर्तमान में वारो प्राधिकारों को समाप्त किया जाता है तथा रामी वारो प्राधिकारों को क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में नामित किया जाता है। पुनर्गठित क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रबंध निदेशक को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में जाना जाएगा। जिनकी नियुक्ति/पदस्थापन सरकार द्वारा की जाएगी, जब तक सरकार द्वारा नियुक्ति/पदस्थापन नहीं की जाती है तब तक पूर्व रो पदस्थापित प्रबंध निदेशक/सधिव, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी /कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्यरत रहेंगे।

6. झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार गठन के पश्चात वर्तमान प्रबंध निदेशक—राष्ट्र उपायक्ष कर्मचारियों के पुनर्गठन से संबंधित प्ररताव देंगे। पुनर्गठन में तक वर्तमान कर्मचारी अपने रथान पर कार्य करते रहेंगे।

7. रामी वारों प्राधिकारों की परिसंपत्तियों एवं दायित्व प्रक्रियात् प्राधिकार में निहित होगे।

8. आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नियमन-2015, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नियमन-2015, संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नियमन-2015 एवं राँची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नियमन-2015 से सबमित कमाल संकल्प सख्ता- 3207 रो 3210 दिनांक 16.10.2015 निर्मित है। रामी वारों प्राधिकारों का नियमन एक ही प्रकार का है। अतः आदित्यपुर, बोकारो, संथाल परगना एवं राँची औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकार नियमन-2015 के रथान पर झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नियमन पढ़ा जाएगा। साथ ही उक्त संकल्प सख्ता-3207 रो 3210 दिनांक 16.10.2015 एवं अधिरूपन सख्ता- 3207 (A) रो 3210 (A) दिनांक 16.10.2015 में निगमित किंवितों को विस्तृत रूप से विस्तृत/परिमाणित किया जाता है :—

- i. संकल्प की किंवित 1.2 में एक अतिरिक्त किंवित 1.2 (r) को जोड़ा जाता है 1.2 (r) Chief Executive Officer means Chief Executive Officer of the concerned Regional Office of the Authority
- ii. Chapter-VI की किंवित 6 ii (f), 10 (iv), 11, 23 (ii), 25(i) में अंकित Managing Director के स्थान पर Chief Executive Officer पढ़ा जाय।
- iii. 15 (i), 15 (iii), 17, 18 (i), 18 (ii), 19 (i), 19 (ii), 20 (i) (d), 20 (ii), 20 (iii), 21 (ii), 21 (iv), 22(i), 23 (i), 23(v), 24 (i) में अंकित Managing Director of the Authorities के स्थान पर Chief Executive Officer of the Region पढ़ा जाय।
- iv. संकल्प की किंवित 20(ii) में अंकित "The Allottee on being dissatisfied with the order of the Authority may file an appeal to the Department of Industries, Government of Jharkhand within one month and the State Government shall, after due consideration dispose it off within two months from the date of receipt of the appeal" को विस्तृपित करते हुए "The allottee/applicant on being dissatisfied with the order of the Chief Executive Officer may file an appeal to the Managing Director of the Authority within one month from the order of the Chief Executive Officer of the region. Managing Director shall, after due consideration

dispose of within two months from date of receipt of the appeal. The second appeal shall lie with Secretary/Principal Secretary/Additional Chief Secretary of the Department of Industries, Mines and Geology, Govt. of Jharkhand and such appeal should be made within one month of the order of the Managing Director, Secretary/Principal Secretary/Additional Chief Secretary of the Department of Industries, Mines and Geology shall dispose~~of~~ of such application within three months from date of the receipt of the appeal." समाहित किया जाता है।

9. उक्त संशोधित नियमन झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नियमन 2016 के रूप में जाना जाएगा, जो इस संकल्प का भाग होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण के सूचनार्थ झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की व्यवस्था की जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(उदय प्रताप सिंह)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापाक 1638 /राँची, दिनांक 16/05/2016 13/5/2016

2/उम्रिय/प्राधिकार 02/2007  
प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, राँची को झारखण्ड गवर्नर के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उन्होंने अनुरोध है कि ई-गजट में चयाशीष प्रकाशित करने की व्यवस्था की जाय।

अपर मुख्य


ज्ञापाक 1638 /राँची, दिनांक 16/05/2016 13/5/2016

2/उम्रिय/प्राधिकार 02/2007  
प्रतिलिपि सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/राज्यपाल सचिवालय/महालेखाकार, झारखण्ड/श्री कृष्ण लोक प्रशारान सरथान, राँची/रामी विभाग/रामी विभागाध्यक्ष/रामी प्रगण्डलीय आयुक्त/रामी उपायुक्त उद्योग विभाग के अन्तर्गत सभी औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारों/रामी जिला उद्योग केन्द्रों/रायुक्त सचिव, उद्योग विभाग/उद्योग निदेशक, अपर उद्योग, सायुक्त उचित निदेशक एवं उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारबाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य

13/5/2016

Organizational Structure of  
Jharkhand Industrial Area Development Authority



Additional Chief Secretary,  
 Department of Industries, Mines and Geology  
 Jharkhand, Ranchi